



The Motor Transport Workers (Uttar Pradesh Amendment) Act, 2017

Act 12 of 2018

Keyword(s):

Motor Transport, Workers

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 24 जनवरी, 2018

माघ 4, 1939 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-1

संख्या 190/79-वि-1-18-1(क)-15-2017

लखनऊ, 24 जनवरी, 2018

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने मोटर परिवहन कर्मकार (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 पर दिनांक 4 जनवरी, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2018 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मोटर परिवहन कर्मकार (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2017

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2018)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 का उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

1-(1) यह अधिनियम मोटर परिवहन कर्मकार (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2017 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम और विस्तार

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

अधिनियम संख्या 27
सन् 1961 की धारा 3
का संशोधन

2-मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 में, उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:-

“(4) सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी आवेदन प्रस्तुत किये जाने के दिनांक के पश्चात् एक दिन के भीतर ऐसी रीति से जो राज्य सरकार निर्धारित करे, रजिस्ट्रीकरण मंजूर करेगा या मंजूर करने से इंकार करेगा और उक्त अवधि की समाप्ति पर रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया गया माना जाएगा।

आवेदक अपना आवेदन पत्र विभागीय वेबपोर्टल पर आवश्यक दस्तावेजों व फीस संदाय के साथ प्रस्तुत कर सकता है। यदि आवेदन पत्र सभी प्रकार से पूर्ण हो और आवेदक पात्र हो तो वेबपोर्टल द्वारा स्वतः रजिस्ट्रीकरण मंजूर कर लिया जायेगा तथा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र ई-मेल के माध्यम से भेज दिया जायेगा:

प्रतिबंध यह है कि यदि रजिस्ट्रीकरण, तथ्य के दुर्व्यपदेशन द्वारा या तथ्य को छिपाकर अथवा कूटरचित दस्तावेज के आधार पर प्राप्त किया गया हो तो ऐसा रजिस्ट्रीकरण अकृत और शून्य समझा जायेगा तथा उसे रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकता है और आवेदक के विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी।”

धारा 34-क का
बढ़ाया जाना

3-मूल अधिनियम की धारा 34 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:-

“34-क (1) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय ऐसे किसी अपराध का शमन, जो अपराधों का केवल जुर्माना से या तीन मास तक कारावास से या दोनों से राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व या पश्चात् अभियुक्त के आवेदन पर ऐसे अपराध के लिए विहित जुर्माना सहित शमन फीस स्वरूप 50 प्रतिशत जुर्माना अधिरोपित करने के पश्चात्, किया जायेगा:

परन्तु शमन हेतु उपचार केवल प्रथम अपराध के लिए उपलब्ध होगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक अधिकारी, किसी अपराध का शमन करने की शक्ति का प्रयोग, राज्य सरकार के निदेश, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन करेगा।

(3) किसी अपराध के शमन किए जाने के लिए प्रत्येक आवेदन यथा विहित प्रपत्र में और रीति से किया जायेगा।

(4) जहाँ किसी अपराध का शमन किसी अभियोजन के संस्थित किये जाने के पूर्व किया जाता है वहाँ ऐसे अपराधी के विरुद्ध जिसके सम्बन्ध में अपराध का इस प्रकार शमन किया गया है, ऐसे अपराध के सम्बन्ध में कोई अभियोजन संस्थित नहीं किया जाएगा।

(5) जहाँ किसी अपराध का शमन, किसी अभियोजन के संस्थित किये जाने के पश्चात् किया जाता है वहाँ ऐसा शमन, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा उस न्यायालय के संज्ञान में लिखित रूप में लाया जाएगा जिसमें ऐसा अभियोजन लम्बित है और अपराध के शमन का इस प्रकार संज्ञान में लाये जाने पर वह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध इस प्रकार अपराध का शमन किया गया हो, उन्मोचित कर दिया जाएगा।”

उद्देश्य एवं कारण

मोटर परिवहन उपक्रमों में नियोजित कर्मचारियों के नियोजन की कार्य की शर्तों के विभिन्न पहलुओं गथा-कार्य एवं मजदूरी, चिकित्सा सुविधाओं, कल्याणकारी सुविधाओं, कार्य के घण्टों, अतिकाल और अवकाश आदि को विनियमित करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 अधिनियमित किया गया है। उक्त अधिनियम में मोटर परिवहन उपक्रम के रजिस्ट्रीकरण की भी व्यवस्था है।

पिछले अनेक वर्षों से उपक्रमों के रजिस्ट्रीकरण की निश्चित समय सीमा निर्धारित करने की मांग बढ़ती जा रही है जिससे कि रजिस्ट्रीकरण को सुविधाजनक बनाया जा सके और सरकारी तंत्र का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जा सके और न्यायालयों में अनावश्यक मुकदमोंबाजी से बचने के लिये तथा लंबित अनेक वादों में कमी करने के उद्देश्य से लघु अपराधों का शमन पुर-स्थापित किया जा सके। अतः नियोक्ता संघों एवं व्यापार संघों से सम्यक विचार-विमर्श करने के पश्चात यह विनिश्चय किया गया है कि मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 का उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के संबंध में संशोधन किया जाय जिससे कि आवेदन प्रस्तुत करने के दिनांक से एक दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण किये जाने और उक्त अधिनियम के अधीन अपराध हेतु विहित जुर्माना सहित शमन फीस स्वरूप जुर्माने के पचास प्रतिशत के संदाय पर प्रथम अपराध का शमन किये जाने की व्यवस्था की जा सके।

तदनुसार मोटर परिवहन कर्मकार (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 पुर-स्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 190(2)/LXXIX-V-1-18-1(ka)-15-2017

Dated Lucknow, January 24, 2018

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Motor Parivahan Karmkar (Uttar Pradesh Sanshodhan) Adhiniyam, 2017 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 12 of 2018) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on January 4, 2018.

THE MOTOR TRANSPORT WORKERS
(UTTAR PRADESH AMENDMENT) ACT, 2017
(U.P. ACT NO. 12 OF 2018)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

furthur to amend the Motor Transport Workers Act, 1961 in its application to Uttar Pradesh.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-eighth Year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Motor Transport Workers (Uttar Pradesh Amendment) Act, 2017.

Short title and extent

(2) It shall extend to the whole of Uttar Pradesh.

Amendment of
section 3 of Act
no. 27 of 1961

2. In section 3 of the Motor Transport Workers Act, 1961, hereinafter referred to as the principal Act, *after* sub-section (3), the following sub-section shall be *inserted*, namely:-

“(4) On submission of application in all respect the registering officer shall grant or refuse to grant registration within one day after the date of submission of application in such manner as may be prescribed by the State Government on expiry of the said period the registration shall be deemed to be granted.

The Applicant may submit his application on departmental web portal along with necessary documents and payment of fee. If the application is complete in all respect and the applicant is eligible, automatic registration shall be granted by the web portal and registration certificate be sent through e-mail:

Provided that if the registration is obtained by misrepresentation of fact or concealment of fact or on the basis of forged document then such registration shall be deemed null and void and may be cancelled by the registering officer and legal action shall be taken against applicant.”

Insertion of section
34-A

3. *After* section 34 of the principal Act the following section shall be *inserted* namely:-

“~~34~~-A Any offence punishable under this Act with fine only or Composition of offence imprisonment up to three months or with both shall be compounded on the application of accused before or after institution of prosecution by a competent authority notified by the State Government, after imposing 50% of the fine for the offence as compounding fee along with the prescribed fine:

Provided that remedy for compounding shall be available for the first offence only.

(2) Every officer referred to in sub-section (1) shall exercise the power to compound an offence, subject to direction, control and supervision of the State Government.

(3) Every application for the compounding of an offence shall be made in such form and in such manner as may be prescribed.

(4) Where any offence is compounded before the institution of any prosecution, no prosecution shall be instituted in relation to such offence, against the offender in relation to whom the offence is so compounded.

(5) Where the composition of any offence is made after the institution of any prosecution, such composition shall be brought by the officer referred to in sub-section (1) in writing to the notice of the court in which prosecution is pending and on such notice of the composition of the offence being given, the person against whom the offence is so compounded shall be discharged.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Motor Transport Workers Act, 1961 has been enacted by the Central Government with the object of regulating various aspects of working conditions of employment such as work and wages, medical facilities, welfare facilities, working hours, overtime, leaves *etc.* of employees employed in motor transport undertaking. The Act also provides for the registration of motor transport undertaking.

From the last many years there has been a growing demand for fixing definite time line for registration of undertakings so as to make registration convenient and fixing accountability of Government machinery and introduction of provision for compounding of small offences in order to avoid unnecessary litigation and to reduce the number of cases pending in courts. So, after due consultation with associations of employers and trade unions, it has been decided to amend the Motor Transport Workers Act, 1961 in its application to Uttar Pradesh to provide for registration within one day from the date of submission of application and for compounding of first offence on payment of fifty per cent of the fine as compounding fee along with prescribed fine for the offence under the said Act.

The Motor Transport Workers (Uttar Pradesh Amendment) Bill, 2017 is introduced accordingly.

By order,
VIRENDRA KUMAR SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 820 राजपत्र-(हिन्दी)-2018-(2567)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 162 सा० विधायी-2018-(2568)-300 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।